न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 15/528

1. रघुवीर सिंह आत्मज श्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी 391 – सी तलवंडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. हरिराज सिंह आत्मज श्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी 5–एन–21 महावीर नगर –ाा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. विजय बहादुर सिंह आत्मज श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी ए–83 रिद्धि–सिद्धी नगर बून्दी रोड कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री श्री पृथ्वीसिंह धर्म पत्नी श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी 42 – बी– तलवंडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. छोटू लाल आत्मज श्री मोडू जाति बलाई ।
2. हरदेव आत्मज श्री बरधा जाति बलाई ।
3. बजरंगा आत्मज श्री बरधा जाति बलाई निवासीगण ग्राम खेडला तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 19.12.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के पिता पृथ्वीसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद हक घोषणा खातेदारी का वर्ष 1987 में पेश किया था । उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.02.1991 द्वारा वादी श्री पृथ्वीसिंह का वाद डिक्री करते हुए उन्हे वादग्रस्त आराजी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 299 की 07 बीघा 05 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित कर दिया था । उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 17.02.1993 के द्वारा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय

.02.1993 के विरूद्ध वादी पृथ्वीसिंह ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमरे ने अपने निर्णय दिनांक .2.96 से अपीलान्ट की अपील खारिज करते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.1993 को बहाल रखने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

3. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रकरण में दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम किये गये । तत्पश्चात् पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दिनांक 29.07.2015 को लिखित में राजीनामा प्रस्तुत कर वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2015 के द्वारा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् राजीनामा खारिज करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट के वारिसान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किये गये राजीनामा के प्रार्थना पत्र पर बहस समाअत कर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । यदि परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं था तो परीक्षण न्यायालय को वाद में नियमित कार्यवाही करने का आदेश पारित करते हुए पक्षकारान को शहादत पेश करने का अवसर प्रदान करना चाहिए था । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को शहादत पेश करने एवं बाद शहादत प्रकरण में बहस का अवसर प्रदान कर उक्त प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था । परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण का अंतरिम तौर पर निस्तारण कर वादीगण अपीलान्ट का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने न तो तनकीवार निर्णय पारित किया है और न ही अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात एवं शहादत को ही एप्रिशियेट किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फमराया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फमराया जावे । बसूरत दीगर प्रकरण को बाद शहादत पक्षकारान की बहस समाअत की जाकर गुणावगुण पर निर्णय करने के लिए परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अपीलान्ट के पिता मृतक पृथ्वीसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद घोषणा खातेदारी का वर्ष 1987 में पेश किया था । उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.02.1991 द्वारा वादी श्री पृथ्वीसिंह का वाद डिक्री करते हुए उन्हे वादग्रस्त आराजी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 299 की 07 बीघा 05 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित कर दिया था । उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 17.02.1993 के द्वारा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.1993 के विरूद्ध वादी पृथ्वीसिंह ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमरे ने अपने निर्णय दिनांक 30.12.96 से अपीलान्ट की अपील खारिज करते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.1993 को बहाल रखने का निर्णय एवं डिक्री पारित की । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रकरण में दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम किये गये ।

9. तत्पश्चात् पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दिनांक 29.07.2015 को लिखित में राजीनामा प्रस्तुत कर वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2015 के द्वारा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् राजीनामा खारिज करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । यदि परीक्षण / विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं था तो परीक्षण/विचारण न्यायालय को वाद में नियमित कार्यवाही करने का आदेश पारित करते हुए पक्षकारान को शहादत पेश करने का अवसर प्रदान करना चाहिए था । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को शहादत पेश करने एवं बाद शहादत प्रकरण में बहस का अवसर प्रदान कर उक्त प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था । परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण का अंतरिम तौर पर निस्तारण कर वादीगण अपीलान्ट का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । हम प्रस्तुत प्रकरण को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को शहादत पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा